215

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 218/ 410 /2007/20-2 भोपाल, दिनांक 7 ~~जनवरी~~ फरवरी 2007

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय :— शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य में नियोजन ।

राज्य शासन के ध्यान में यह बात आई है कि शिक्षकों का गैर शिक्षकीय कार्यों में नियोजन किए जाने से स्कूलों के शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता है और इसका असर शिक्षा की गुणवत्ता और परीक्षा परिणामों पर पड़ता है ।

आपको मालूम ही है कि शिक्षा के संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा "मध्यप्रदेश जनशिक्षा अधिनियम 2002" बनाया गया है । इस अधिनियम की धारा 10 में यह प्रावधान है कि राज्य शासन के विशिष्ट आदेश पर ही शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य में अभिनियोजित किया जा सकेगा । सुलभ संदर्भ के लिए जनशिक्षा अधिनियम 2002 की धारा 10 का उद्धरण नीचे दिया जा रहा है :—

"10. अशैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों का अभिनियोजन न किया जाना —राज्य सरकार के स्कूल शिक्षकों को शैक्षणिक और ऐसे अन्य कार्यों के लिए अभिनियोजित किया जाएगा जो कि स्कूल के शैक्षणिक कृत्यकारी के प्रबंध के भाग हो । राज्य सरकार के विशिष्ट आदेश पर ही उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए अभिनियोजित किया जा सकेगा ।"

विभाग की जानकारी में आया है कि मध्यप्रदेश जनशिक्षा अधिनियम 2002 के उपर्युक्त प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य शासन से विशिष्ट आदेश प्राप्त किए बगैर ही स्थानीय स्तर पर शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य पर अभिनियोजित करने की कार्रवाई कर ली जाती है ।

अतः आपसे [illegible] भविष्य में इस विभाग के विशिष्ट आदेश प्राप्त किए बिना शिक्षकों का गैर शिक्षकीय कार्यों के लिए अभिनियोजन न किया जाए । इसकी अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा ।

कृपया इस विषय में सभी संबंधितों को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश जारी करें।

(इन्द्रनील शंकर दाणी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन कमांक 219/ 4/9/2007/20-2 भोपाल, दिनांक 7 ~~जनवरी~~ फरवरी 2007

प्रतिलिपि :—

1/ माननीय मुख्यमंत्रीजी के सचिव को सूचनार्थ ।
2/ माननीय मंत्री/राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा विभाग को सूचनार्थ ।
3/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
4/ समस्त कमिश्नर, मध्यप्रदेश ।
5/ आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल
6/ आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल
7/ आयुक्त, आदिवासी विकास, भोपाल
8/ समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित । कमांक 5,6,7 से अनुरोध है कि वे अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश प्रसारित करें ।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग